रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 311] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 1986/श्रावण 10, 1908
No. 311] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 1986/SRAVANA 10, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1986

अधिसूचना

का.आ. 454(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 6 की उपधारा (6) के साथ पठित, धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसरण में, प्रो. के. के. तिवारी के स्थान पर, जिन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (5) के अनुसार पद रिक्त कर दिया है, सदस्य के रूप में प्रोफेसर नारायण चंद पराशर, सदस्य, लोक सभा के नाम को अधिसूचित करती है तथा भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की

अधिसूचना सं. का. आ. 520(अ), तारीख 9 जुलाई, 1985 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 26 के सामने, "प्रो. के. के. तिवारी" प्रविष्टि के स्थान पर "प्रोफेसर नारायण चंद पराशर" प्रविष्टि रखी जायेगी।

[फाइल संख्या 4/15/84-प्रेस]

के. एस. बैदवान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 1st August, 1986

NOTIFICATION

S.O. 454 (E) :—In pursuance of sub-section (5) of Section 5 read with Sub-section (6) of Section 6 of the Press Council Act, 1978 (37 of 1978), the Central Government hereby notifies the name of Professor Narain Chand Parashar Member, Lok Sabha, as a Member in place of Professor K. K. Tiwari, who vacated the office in accordance with the provisions of Sub-section (5) of Section 6 of the said Act and makes the following amendment in notification S. O. No. 520 (E), dated the 9th July, 1985 of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting, namely :—

In the said notification, against serial number 26, for the entry 'Professor K. K. Tiwari' the entry 'Professor Narain Chand Parashar' shall be substituted.

[File No. 4|15|84-Press]

K. S. BAIDWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986